—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 105/2019

उनवान

छोटू पुत्र शेर खान जाति मुसलमान निवासी ग्राम अजबा का बाडिया, नसीराबाद
——वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया

बनाम

1. कल्लू पुत्र शेरखान
2. सुल्ताना पत्नी अब्दुल रहमान
3. इशाक
4. रईश पि. अब्दुल रहमान
5. हजारी
6. पप्पू पि. अहमद
7. अख्तर पत्नी अखबर समस्त जाति मुसलमान (पठान) निवासी ग्राम अजबा का बाडिया,नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 7 अनुपस्थित, 8 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

—: निर्णय :— दिनांक :— २४.११.२५

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजबा का बाडिया के खाता संख्या 141/130 किता 13 रकबा 4.34 की आराजी वादी के भाई मौहम्मद पुत्र अन्नू के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। वादी उक्त आराजी पर दिनांक 29.1.79 से ही अपने भाई के जीवन काल से ही काबिज चला आ रहा है। वादी के भाई के निधन के बाद अनपढ होने के कारण वादी आराजी मुतनाजा को राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज नही करवा सका। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर बिना किसी अधिकार के वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने जवाब पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया तथा निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आ[illegible] जवाब नही पेश करना जाहिर किया।
प्रकरण में खण्डन का जवाब पेश [illegible] नही की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:49 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी छोटू का शपथ पत्र पेश किया।

वाद विचारण क दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व प्रतिवादी स्वयं उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम अजबा का बाडिया के खाता संख्या 141/130 किता 13 रकबा 4.34 की आराजी वादी के भाई मौहम्मद पुत्र अन्नू के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। वादी का कथन है कि मौहम्मद की मृत्यु हो गयी है तथा उक्त आराजी पर उसका एकल कब्जा है। प्रतिवादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। किन्तु राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के खातेदार मौहम्मद पुत्र अन्नू के विधिक वारिस कौन–कौन है इसके समर्थन में वादी द्वारा कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किये है। वाद पत्र में अंकित शजरा अनुसार हाल खातेदार मोहम्मद के पिता का नाम अन्नू था। अन्नू का पुत्र मोहम्मद है तथा अन्नू का भाई शेरखान के 4 पुत्र छोटू खां, कल्लू, अब्दुल रहमान व अहमद हुये इनमे से अहमद व अब्दुल रहमान पि. शेरखान की मृत्यु हो गयी है। छोटू वादी है, कल्लू प्रतिवादी संख्या 1 है व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 अब्दुल रहमान के वारिस है। इस प्रकार मोहम्मद पुत्र अन्नू की खातेदारी आराजी पर अकेले वादी का हक नही है। यधपि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। किन्तु मात्र उनकी स्वीकृमि के आधार पर आराजी मुतनाजा अकेले वादी के नाम नही की जा सकती है। वादी द्वारा मृत खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र व शजरा भी पेश नही किया है। उसके द्वारा पूर्व में तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष विरासत की कार्यवाही के लिये क्या प्रयास किये यह भी स्पष्ट नही किया हैं। आराजी मुतनाजा में दर्ज खातेदार के विधिक वारिसान का निर्धारण पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से नही होता है।

अतः ग्राम ग्राम अजबा का बाडिया के खाता संख्या 141/130 किता 13 रकबा 4.34 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से निस्तारित किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये प्रकरण में धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:49 IST
Reason: SelfAttested